

14.06.2024:—पत्रावली आज पेशी मे आई। प्रार्थी अधिवक्ता का मूल वाद पत्र खारिज हो गया। प्रार्थी मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

Warye
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

इ.ज.न.स.स.